बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–02 / रेगु०–02–7013 / 2024–251/ई०का०/ पटना, दिनांकः– 24 फरवरी, 2025

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में ईख मूल्य के दर में 10.00 (दस) रू० प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी के पश्चात् इसके कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका प्रवृत्त है, जो विभागीय पत्रांक–94 / ई० का० दिनांक–22.01.2025 द्वारा निर्गत है।

चूँकि भुगतान हेतु निर्गत मार्गदर्शिका में विहित प्रक्रिया के आलोक में गन्ना कृषकों को CFMS के माध्यम से ईख मूल्य भुगतान करने हेतु विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। CFMS 2.0 के माध्यम से गन्ना मूल्य के लिए वितरण की प्रक्रिया एवं किसानों का पेयी आईडी बनाने में कठिनाई हो रही है।

चूँकि क्षेत्रीय पदधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि वांछित डाटा CFMS 2.0 में अपलोड करने के पश्चात् भी CFMS में file in progress message show हो रहा है।

चूँकि CFMS 2.0 में पेयी आईडी बनाने में हो रही कठिनाई के संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना से भी विभाग द्वारा पत्राचार किया गया है, परन्तु समस्या का निदान अबतक नहीं हो पाया है।

चूँकि वित्तीय वर्ष 2024–25 समापन की ओर है तथा राज्य के गन्ना कृषकों को 10.00 (दस) रू० प्रति क्विंटल की दर से शीघ्र ईख मूल्य का भुगतान किया जाना है।

चूँकि CFMS 2.0 के माध्यम से भुगतान करने में काफी विलम्ब होने की संभावना है।

अतएव समयाभाव के मद्देनजर वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2561 / वि०(2), दिनांक–17.04.1998 की कंडिका–15 के आलोक में पूर्व में निर्गत मार्गदर्शिका (विभागीय पत्रांक–94 / ई० का० दिनांक–22.01.2025) में चालू पेराई सत्र 2024–25 के लिए निम्नवत् संशोधन किया जाता हैः–

(i) सभी संबंधित ईख पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को विभागीय आवंटन आदेश संख्या–25 बजट दिनांक–29.01.2025 द्वारा आवंटित राशि का अग्रिम निकासी करेंगे तथा राष्ट्रीयकृत बैंक खाता में संधारित करेंगे।

(ii) निकासी की गई अग्रिम राशि को संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कार्यालय बैंक खाता के माध्यम से किसानों के उसी बैंक खाता में राशि अंतरित की जायेगी जिस बैंक खाता में चीनी मिल के द्वारा ईख मूल्य का भुगतान किया गया है। चीनी मिल के द्वारा किसानों की सूची, उनसे क्रय किये गये गन्ना की मात्रा, किसानों का बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड इत्यादि जिसमें चीनी मिल के द्वारा किसान को ईख मूल्य भुगतान किया गया है, संबंधित सूचना ईख पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए विभाग द्वारा पूर्व में भी प्रपत्र एवं समयसीमा निर्धारित है। किसानों के संबंध में दी गयी सूचना एवं उनको भुगतान किये जा रही राशि का विवरण चीनी मिल से प्राप्त सूचना पर आधारित है। अतएव इस संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि / गलत जानकारी / डुप्लीकेशन होने पर संबंधित चीनी मिल के दखलकार जिम्मेवार होंगे।

(iii) भुगतान के पश्चात् भुगतान किये गये प्रमाण के साथ किसानों की सूची डी०सी० विपत्र के रूप में यथाशीघ्र समर्पित किया जाएगा। साथ ही जिस मद के विरूद्ध अग्रिम निकासी की जाएगी, उसी मद अंतर्गत व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम के रूप में निकासी की गई राशि का उपयोग किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।

कृ०पृ०उ०

प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

25/2/2025

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–7013/2024–251/ई०का० /पटना, दिनांकः– 25 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/गोपालगंज/बेतिया (प० चम्पारण)/मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)/मुजफ्फरपुर/सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/2025
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–7013/2024–251/ई०का० /पटना, दिनांकः– 25 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि–समाहर्त्ता, समस्तीपुर/गोपालगंज/बेतिया (प० चम्पारण)/मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)/ मुजफ्फरपुर/सीवान/सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/2025
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–7013/2024–251/ई०का० /पटना, दिनांकः– 25 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय/सहायक ईखायुक्त, उ० बिहार, मुजफ्फरपुर/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/रेगुलेटरी शाखा/बजट शाखा/लेखा शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिलें/अध्यासी/महाप्रबंधक, प्रतापपुर (उ० प्रदेश) चीनी मिल/ महाप्रबंधक, सेवरही (उ० प्रदेश) चीनी मिल/सचिव, बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन (BSMA), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/2/2025
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–7013/2024–251/ई०का० /पटना, दिनांकः– 25 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि–माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

25/2/2025
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–7013/2024–251/ई०का० /पटना, दिनांकः– 25 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

25/2/2025
ईखायुक्त, बिहार।